RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MH/MR/South-329/2013–15



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ४] बुधवार, मे २१, २०१४/वैशाख ३१, शके १९३६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

वित्त विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ९ मई २०१४ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2014.

AN ORDINANCE
TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY FUND
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2014.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ सन् २०१४ ।

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ मे संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ में अधिकतर संशोधन करने के लिये तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ११ ।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् २०१४ का महा. अध्यादेश क्रमांक ११ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ की धारा २ में, " एक हजार करोड़ रुपयों की राशि " शब्दों के स्थान में, " दो हजार पाँच सौ करोड़ रुपयों की राशि " शब्द रखे जायेंगे । सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ११।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि अधिनियम (सन् १९५६ का ४६) के अधीन स्थापित और बनाए रखी गई राज्य की आकस्मिकता निधि की समग्र राशि ड़ेढ सौ करोड़ रुपये है । दिनांक ५ अप्रैल २०१४ को प्रख्यापित किए गए महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ११) द्वारा अस्थायी उपाय के तौर पर उक्त राशि डेढ़ सौ करोड रुपये से एक हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई थी ।

२. सन् २०१४ के फरवरी और मार्च महीने में राज्य के २८ जिलों में हुई भारी वर्षा और ओला-वृष्टि के कारण, फसल तथा मकानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और मानव पशु-पक्षियों की जीवित हानि हुई है । राज्य सरकार ने, प्रभावित व्यक्तियों को सहायता और क्षतिपूर्ति मुहैया करने के लिये संबंधित जिले के जिलाधिकारियों के पास राजस्व तथा वन विभाग के जरिये आकस्मिकता निधि की अग्रिम ८५० करोड़ रुपयों की राशि पहले से ही जारी की हुई है । तथापि, इस प्रयोजन के लिए, अधिक राशि की आवश्यकता है । इस के अलावा अत्यावश्यक तथा अनपेक्षित स्वरुप के कतिपय मदों पर का व्यय उपगत करना होगा । इन मदों पर का व्यय पुरा करने के लिए १५०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है । व्यय के इन मदों पर का व्यय " नयी सेवाओं " में संस्थापित करना होगा और, इसलिए, उन्हें राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाने की आवश्यकता है । राज्य विधानमंडल का आगामी सत्र २ जून २०१४ से प्रारम्भ होनेवाला है । उपरोलिखित प्रयोजनों के लिए निधि उपलब्ध करने के लिए, आवश्यक आदेश केवल तभी जारी किये जा सकते है जब इन " नयी सेवाओं " पर किये जानेवाली व्यय को अनुपूरक माँगों और विनियोग विधेयक के जरिए, राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाया गया है और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विनियोग विधेयक राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में प्रकाशित किया गया है । तथापि, इन मद्दों पर अपेक्षित व्यय को तत्काल उपगत करने के लिए, वह आकस्मिकता निधि में से अग्रिम निकालकर ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

३. अधुना, आकस्मिकता निधि की विद्यमान समग्र राशि केवल १००० करोड़ रुपये हैं । इनमें से शेष रकम, उपरोल्लिखित मद्दों के लिए अन्य अनपेक्षित और तत्काल व्यय के मद्दों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिन्हें आकस्मिकता निधि से पूरा करने की आवश्यकता होगी । इसलिए, आकस्मिकता निधि की विद्यमान समग्र राशि १००० करोड़ रुपयों से अस्थायी रुप से २५०० करोड़ रुपये बढ़ाना इष्टकर समझा गया है, ताकि यथा उपर्युक्त व्ययों को पूरा किया जा सके ।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितीयाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, (सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ११) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुम्बई,
दिनांकित ८ मई २०१४।

के. शंकरनारायणन्,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सुधीर श्रीवास्तव,
शासन के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)
श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.